पंचायत आम निर्वाचन, 2021

दिनांक 31.07.2021 को सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के साथ माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही।

कार्यवाही

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी के निमित्त माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। उन्होंने सर्वप्रथम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित जिला पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी के महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

किसी भी जिले द्वारा किये जा रहे कार्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

पुनः निर्वाचन कार्य के सफल संचालन के लिए जिला पदाधिकारी का जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में व्यक्तिगत रूप से अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

कतिपय जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुपस्थित थे, जिसे आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया गया तथा सख्त निदेश दिये गये हैं कि किसी आपातकालीन स्थिति को छोड़कर यदि जिला पदाधिकारी भाग नहीं लेते हैं तो बाध्य होकर उनके विरूद्ध राज्य सरकार को कार्रवाई करने हेतु सूचित कर दिया जायेगा।

1. **दिनांक 16.07.2021 को हुए विडियोकॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही** संसूचित ज्ञापांक 2727 दिनांक 21.07.2021 का अनुपालन प्रतिवेदन।

   – जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा भेजे गये कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

   – ज्ञातव्य है कि आयोग द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही निदेश के साथ दिये जा रहे हैं, जिससे जिला पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

   निर्देश – कार्यवाही के अनुपालन में यदि कोई कठिनाई हो कठिनाई होती हो तो उसे आयोग के संज्ञान में लाये लायें जिससे कि उसका ससमय निराकरण किया जा सके। बैठक का अनुपालन कर इसे अगली बैठक के पूर्व अपलोड कराने का निदेश दिया गया।

2. **ई.वी.एम. प्रबंधन योजना के क्रियानवयन के संबंध में;**

   (क) ई.वी.एम. प्राप्त होने के पश्चात वारकोड प्रिन्ट कर इ.वी.एम. पर चिपकाकर स्कैन कर `स्टाक इन्ट्री` करवाना एवं वेयरहाऊस में सुरक्षित रखना

   – समीक्षा में पाया गया कि ई.वी.एम. प्राप्त होने पर उन्हें 'वारकोड प्रिन्ट' कर इ.वी.एम. पर चिपकाकर स्कैन कराकर भंडारित कराने का कार्य दिनांक 22.07.2021 तक सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था। इसके लिए जितने टीम लगाने की आवश्यकता हो उतने टीम अवश्य लगाने का भी निदेश दिया गया था। अधिकतम 25.07.2021 तक यह कार्य समाप्त हो जाना चाहिए थे, परन्तु अभी कई जिलों में समाप्त नहीं किया जा सका है।

   निर्देश – दिनांक 03.08.2021 तक ई.वी.एम. की 'स्टॉक इन्ट्री' संबंधी कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित की जाय।

(ख) EVM surplus जिले से EVM deficit जिले का EVM संबंधी द्वितीय संबंधन एवं उसका परिवहन

– आयोग द्वारा पत्रांक 2818 दिनांक 29.07.2021 द्वारा ई.वी.एम. का द्वितीय संबंधन संबंधी पत्र निर्गत।

– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलों द्वारा इ.वी.एम. स्टॉक इन्ट्री के क्रम में ई.वी.एम. के क्रमांक में conflict पाये जा रहे हैं। संभवतः इन्ट्री के क्रम में जिले द्वारा गलत इन्ट्री हो जाने के कारण एक ही संख्या के इ.वी.एम. कई जिलों में पाये जा रहे हैं।

निर्देश– सभी जिला पदाधिकारी ऐसे ई.वी.एम. के conflict पाये गये रिपोर्ट को देख लें तथा इसे अपने जिले में जाँच कराकर एवं इससे संबंधित जिले के ई.वी.एम. नोडेल पदाधिकारी एक दूसरे से सम्पर्क कर दिनांक 03.08.2021 तक निराकरण कराना सुनिश्चित करें। यदि आपके जिले के कारण conflict पाये जाते हैं तो वहाँ के नोडेल पदाधिकारी एवं आई. टी. के कर्मी की जिम्मेवारी निर्धारित करें। अगर भौतिक रूप से संबंधित जिला में एक ही संख्या के मशीन पाये जाते हैं तो उन्हें चिह्नित कर आयोग को इस आशय की सूचना दी जाय।

(ग) ई.वी.एम. के एफ.एल.सी. की तैयारी

– एफ.एल.सी. हेतु एवं के अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति के लिए आयोग के पत्रांक 2820 दिनांक 28.07.2021 निर्गत किये गये हैं, जिसकी प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी को संसूचित किये गये हैं।

निर्देश – ई.वी.एम. के एफ.एल.सी. कार्य में निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है –

1. बैलेट यूनिट एवं कन्ट्रोल यूनिट के पूर्व से लगे एड्रेस टैग, उपलेखन एवं पूर्व के मतदान के आँकड़े को मिटाना आदि।
2. बैलेट यूनिट से पूर्व मतदान के मतपत्र को हटाना।
3. ई.वी.एम. के कैरिंग बॉक्स, कनेक्टिंग केबल, लैचेज स्विच आदि के टूटे रहने की स्थिति में अभियन्ताओं द्वारा उसकी मरम्मत/मदलने की कार्रवाई की जायेगी।
4. बी.यू. के एक्रिलिक स्क्रीन, स्विच आदि को देखा जाना।
5. BEL/ECIL के अभियन्ता विहित प्रपत्र में प्रमाणित करेंगे कि इ.वी.एम. के सभी घटक असली हैं।
6. यदि कोई ई.वी.एम. उपयोग करने योग्य नहीं पाये जाते हैं तो उसे FLC FAIL का स्टिकर लगाकर अलग रखा जाएगा तथा उसपर स्रोत राज्य एवं स्रोत जिला (जहाँ से प्राप्त किया गया है) का स्टिकर चिपकाया जायेगा।
7. FLC के दौरान यथासंभव बी.यू. एवं सी.यू. पर तथा इससे संबंधित बॉक्स पर स्रोत राज्य एवं जिला का स्टिकर चिपका दिया जोगा ताकि उसे मतदान प्रक्रिया की समाप्ति पश्चात संबंधित राज्य को लौटाया जा सके।
8. FLC के दौरान ई.वी.एम. से छद्म मतदान किया जायेगा, बी.यू. के प्रत्येक बटन का उपयोग कर जाँच कर ली जायेगी।
9. FLC के दौरान सी.यू. में पिंक पेपर सील नहीं लगाया जाना है। बी.यू. तथा सी.यू. में पिंक पेपर सील ई.वी.एम. कमीशनिंग के दौरान लगाया जायेगा।

10. जिला निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ.एल.सी. आयोग के अनुदेश के अनुसार ही की जा रही है।
11. एफ.एल.सी. के बाद ई.वी.एम. रखे गये वज्रगृह की चौबीस घंटे सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था किये जायेंगे। सी.सी. टी.वी. कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
12. वज्रगृह के निकट एवं अन्दर अग्निशामक एवं फायर अलार्म का पर्याप्त व्यवस्था की जाय।
14. सभी क्रिया-कलापों की विडियोग्राफी सुनिश्चित किया जाय।

(घ) एफ.एल.सी. कार्य संबंधी टीम में ई.वी.एम. मास्टर ट्रेनर की प्रतिनियुक्ति

(ङ) ई.वी.एम. के एफ.एल.सी. के पश्चात रखने हेतु वज्र की व्यवस्था

(च) सभी प्रखंडों में इ.वी.एम. सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह की व्यवस्था

(छ) आयोग के स्वामित्व वाले ई.वी.एम. के संबंध में

– सभी जिलों से आयोग के स्वामित्व वाले ई.वी.एम. की सूचना प्राप्त है।

निर्देश – पुनः आयोग के स्वामित्व वाले ई.वी.एम. के संबंध में जाँच करा लें एवं आश्वस्त हो लें कि प्रतिवेदित संख्या के अतिरिक्त उनके जिले में और भी ई.वी.एम. तो नहीं हैं।

(ज) ई.वी.एम. के लिए मतपत्रों का मुद्रण

– ई.वी.एम. के लिए मतपत्र का मुद्रण स्थानीय स्तर पर करना है।

– अधिकतम दो दिनों में सुनिश्चित कराये जायें,जिससे कि इ.वी.एम. 'कमिशनिंग' का कार्य ससमय प्रारम्भ हो सके। जिससे मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदान हेतु ई.वी.एम. तैयार हो जायें।

– उक्त सन्दर्भ में आयोग द्वारा पत्र निर्गत किया जा रहा है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित/उत्क्रमित/सीमा विस्तारित नगरपालिका के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर अन्तिम रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करना

(क) विलोपित/शेष बचे पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम -8 के आलोक में प्रपत्र-1 में प्रकाशन

– समीक्षा क्रम में पाया गया कि जिला पदाधिकारियों द्वारा पंचायत क्षेत्र के नगरपालिका में अधिसूचित होने के फलस्वरूप जिला परिषद एवं पंचायत समिति के प्रा.नि. की स्थिति के संबंध में मांगे गये निदेश अन्तर्गत जिला परिषद तथा पंचायत समिति को यथास्थिति रखा जाना है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 127 में उल्लेख है कि जबतक वर्ष 2021 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तबतक राज्य सरकार के लिए आवश्यक नहीं होगा कि 2011 की जनगणनना पर विनिश्चित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनर्निधारण करे।

साथ बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–3 के परन्तुक में यह उल्लेख है कि यदि नियम 3 के उपनियम 1 और 2 में वर्णित मान्यदण्ड के अनुसार या अन्य अपवादिक परिस्थिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण में कठिनाई हो, तो जिला दण्डाधिकारी ऐसे मामलों में आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त कर निर्णय लेगा।

निर्देश – 1. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं किन्तु पंचायत शेष के साथ अस्तित्व में हैं, उस स्थिति में जिला परिषद क्षेत्र एवं पंचायत समिति क्षेत्र यथास्थिति अपने अस्तित्व में बने रहेंगे।

2. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं एवं शेष बचे हुए भाग जिसे समीपवर्त्ती ग्रामपंचायत में सम्मिलित किया गया है, वैसी स्थिति में भी पूर्व पंचायत समिति यथास्थिति निर्दिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत अपने अस्तित्व में बनी रहेगी।

3. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-5 के आलोक में पंचायत समिति के प्रादेशिक नि. क्षे. ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर ही रहेंगे और इसे अलग/विभाजित नहीं किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत क्षेत्रों का नगर निकाय में सम्मिलित होने के पश्चात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के हुए क्षेत्रों में परिवर्त्तन को बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-8 के आलोक में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विनिर्दिष्ट संबंधित कार्यालयों में प्रकाशित कराया जाय।

(ख) मतदाता सूची के संशोधन के संबंध में आयोग के पत्रांक 2715 दिनांक 20.07.2021 का अनुपालन

1. ग्राम पंचायत के वैसे पंचायत क्षेत्र के मतदाता जो नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 8 के आलोक में अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में आ गये हैं, वे अब पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे। जिला स्तर पर ग्राम पंचायत अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित हुए क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है, उन क्षेत्रों को पंचायत क्षेत्र से अलग करते हुए तदनुसार ग्राम पंचायत के मतदाता सूची को संशोधित किया जाना है।

2. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 23 के अन्तर्गत मतदाता सूची में संशोधन करना है।

3. मतदाता जो अब पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहे
से संबंधित क्षेत्र का प्रकाशन किया जाना – दिनांक 24.07.2021 से 30.07.2021

4. मतदाता सूची का संशोधन संबंधी अन्तिम रूप से कार्रवाई – दिनांक 10.08.2021

निर्देश – उपरोक्त सभी कार्रवाई ससमय सुनिश्चित की जाय।

(ग) मतदान केन्द्र के संशोधन के संबंध में आयोग के पत्रांक 2780 दिनांक 26.07.2021 का अनुपालन

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 8 के आलोक में नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित हुए पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मतदान केन्द्रों की स्थिति निम्नवत् हो सकती है –

(i) ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित होने के फलस्वरूप विलोपित हो गये तो उन पंचायत क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्र विलोपित होंगे।

(ii) यदि ग्राम पंचायत के आंशिक क्षेत्र के साथ पूर्व में स्थापित मतदान केन्द्र नगरपालिका क्षेत्र में चले गये हों, तो शेष बचे ग्राम पंचायत में मतदान केन्द्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित करना होगा

(iii) ऐसा वार्ड जिनमें किन्हीं कारणों से मतदान केन्द्र स्थापित न होकर अपने बगल वाले वार्ड में स्थापित हुये हों और वह वार्ड नगरपालिका क्षेत्र में जाने के कारण विलोपित हुये हों, तो वे मतदान केन्द्र भी विलोपित होंगे।

(iv) ग्राम पंचायत के वैसे वार्ड जिनमें किन्हीं कारणों से मतदान केन्द्र स्थापित न होकर किसी बगल वाले वार्ड में स्थापित हुये हों, और वह वार्ड जिसमें मतदान केन्द्र स्थापित है, नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो गये हों, तो उस मतदान केन्द्र को पुनः पंचायत क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

(2) वैसे मतदान केन्द्र जो अब पंचायत क्षेत्र के नहीं रहे, को पंचायत क्षेत्र से नियमानुसार विलोपित एवं स्थानान्तरित होने वाले मतदान केन्द्रों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं तत्संबंधी सूचना का प्रकाशन बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-8 के आलोक में करना
दिनांक 30.07.2021 से दिनांक 12.08.2021 तक

(3) प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण दिनांक 14.08.2021 तक

(4) मतदान केन्द्र का संशोधन संबंधी आयोग अनुमोदन प्राप्त कर अन्तिम रूप से कार्रवाई – दिनांक 18.08.2021 तक

निर्देश – उपरोक्त सभी कार्रवाई ससमय सुनिश्चित की जाय।

4. **आदर्श मतदान केन्द्र के संबंध में प्रस्ताव**
– इस संबंध में विमर्श करना है। अब तक किसी भी जिला से इस सन्दर्भ में प्रस्ताव अप्राप्त हैं। अगली बैठक के पूर्व प्रस्ताव भेजे जो का निदेश दिया गया जिससे कि इस संबंध में विमर्श कर आयोग द्वारा निर्णय विया जा सके।

5. **पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण स्थिति में हुए विसंगति को दूर कराने के संबंध में;**
– समीक्षा क्रम में पाया गया कि आयोग एवं जिला स्तर पर संधारित आरक्षण संबंधी प्रपत्र-3 में भिन्नता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इनमें पटना, कैमूर, नालन्दा, बक्सर, बाँका, मधुबनी, गोपालगंज, नवादा, सहरसा एवं कटिहार सम्मिलित हैं।
निर्देश – उक्त सन्दर्भ में संबंधित जिलों से पदाधिकारी को जिला एवं प्रखंड में संधारित आरक्षण संबंधी प्रपत्र-3 के साथ आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाये, जिससे कि आरक्षण में पाये गये भिन्नता का निराकरण किया जा सके। इस संबंध में पत्र दिये जा रहे हैं।

6. **मतपेटिका की वास्तविक स्थिति एवं उसके मरम्मति के साथ आवश्यकता का आकलन के संबंध में;**
दिनांक 16.07.2021 को हुए विडियोकॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही संसूचित ज्ञापांक 2727 दिनांक 21.07.2021 की कंडिका -4 में दिये गये निदेश का अनुपालन।

7. मतदान कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता एवं आवश्यकता का आकलन/प्रशिक्षण

(क) दिनांक 16.07.2021 को हुए विडियोकॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही संसूचित ज्ञापांक 2727 दिनांक 21.07.2021 की कंडिका -5 में दिये गये निदेश का अनुपालन।

(ख) कार्मिकों का प्रशिक्षण।

मुख्य बिन्दु – ग्राम पंचायत के चार पद पर मतदान M2 EVM से तथा ग्राम कचहरी के दो पदों पर मतदान मतपत्र एवं मतपेटिका से कराये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम से कम चार - बी.यू, चार - सी.यू. तथा दो मतपेटिका का उपयोग होगा, जिससे मतदान समाप्ति के पश्चात संग्रह स्थल पर पीठासीन पदाधिकारी के अतिरिक्त मतदान पदाधिकारी-1 एवं मतदान पदाधिकारी-2 को रहना अनिवार्य होगा।

"मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दल के पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी-1, मतदान पदाधिकारी-2, गश्ती-सह-ई.वी.एम. संग्रहण दण्डाधिकारी के साथ संग्रहण स्थल (वज्रगृह) पर आएंगे। मतदान दल के शेष कर्मी यथा मतदान अधिकारी (3A, 3B, 3C) मतदान केन्द्र से ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की गई व्यवस्था के अधीन वापस लौट जाएंगे।"

इस सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश –

1. मतदान दल के नियुक्ति पत्र में तत्संबंधी कर्त्तव्य अंकित करना सुनिश्चित की जाय।
2. कार्मिकों के प्रशिक्षण के क्रम में उक्त आशय के संबंध विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराया जाय।
3. उक्त निदेश से सभी संबंधित को भी अवगत कराया जाय।

– उक्त सन्दर्भ में आयोग द्वारा पत्र निर्गत किया जा रहा है।

8. मतगणना के संबंध में

– आयोग का एक विचार है कि सभी प्रखंडों का मतगणनना जिला स्तर पर कराया जाय। प्रत्येक जिला में एक स्थान पर वज्र गृह एवं मतगणनना केन्द्र स्थापित किया जाय जिसमें एक नियंत्रण कक्ष हो। इन्हीं स्थल पर चरणवार मतदान के पश्चात पोल्ड इ.वी.एम. एवं मतपेटिका जिला में स्थापित वज्रगृह में रखी जाय एवं मतगणना सम्पन्न करायी जाय।

– ग्राम पंचायत के चार पदों के लिए चार अलग-अलग वज्रगृह तथा चार मतगणना केन्द्र स्थापित किया जाय। ग्राम कचहरी के दोनों पद हेतु एक वज्रगृह एवं एक मतगणना हॉल रखा जायगा।

निर्देश – उक्त सन्दर्भ में सुझाव/प्रस्ताव दिनांक 05.08.2021 तक आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

9. मतदान सामग्री की तैयारी के संबंध में

– ग्राम पंचायत के चार पद का मतदान ई.वी.एम. से तथा ग्राम कचहरी के दो पद का मतदान मतपेटिका/मतपत्र से कराये जाने के निमित्त जिलों में स्थापित मतदान केन्द्रों के हिसाब से आकलन कर उसकी व्यवस्था पूर्व की भाँति जिला द्वारा कर ली जाय।

– उक्त सन्दर्भ में आयोग द्वारा पत्र निर्गत किया जा रहा है।

10. अन्यान्य।

(क) पिंक पेपर सील –

समीक्षा क्रम में पाया गया कि ई.वी.एम. के एफ.एल.सी. के क्रम में पिंक पेपर सील बी.यू. में लगायी जाती है। चूँकि पंचायत आम निर्वाचन में एक ही ई.वी.एम. एक-एक चरण के अन्तराल पर उपयोग में लाया जाना है और समय की अल्पता है इसलिए प्रत्येक मतदान के पूर्व एफ.एल.सी. कराना संभव नहीं है।

निर्देश – पिंक पेपर सील का उपयोग मतदान में उपयोग हेतु बी.यू. एवं सी.यू. में कमिशनिंग करने के क्रम में लगाया जायेगा। जिसे अन्य मतदान सामग्रियों के साथ पिंक पेपर सील आयोग द्वारा ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सधन्यवाद समाप्त किया गया।

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-119/2021 – 3336 पटना, दिनांक - 27.8.2021

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 3336 पटना, दिनांक - 27.8.2021

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 3336 पटना, दिनांक - 27.8.2021

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 3336 पटना, दिनांक - 27.8.2021

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 3336 पटना, दिनांक - 27.8.2021

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।